भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2483
13 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) का प्रदर्शन और प्रभाव

2483 # श्री बृज लालः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्री मिथलेश कुमारः
श्री शंभू शरण पटेलः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः
श्री उज्जवल देवराव निकमः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) की शुरुआत से अब तक वर्ष-वार बजटीय आवंटन, जारी की गई निधि और संवितरित प्रोत्साहन क्या-क्या हैं और विशेष रूप से बिहार में, खंड-वार और श्रेणी-वार अनुमोदित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) राष्ट्रीय स्तर पर कुल संचित निवेश, प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन, संवितरित प्रोत्साहन और सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) योजना के अंतर्गत एमएसएमई, सहकारी संस्थाओं तथा नवाचारी और जैविक उत्पाद विनिर्माताओं की भागीदारी की सीमा क्या है; और
(घ) क्या भारतीय खाद्य उत्पादों में मूल्य संवर्धन, ब्रांड के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (पीएलआईएसएफपीआई) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित कर रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक किए गए वर्ष-वार बजटीय आवंटन, जारी की गई धनराशि और वितरित प्रोत्साहन का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान (बीई)**	**संशोधित अनुमान (आरई)**	**प्रोत्साहन वितरण सहित निधि जारी की गई**
2021-22	10.00	10.00	9.27
2022-23	1022.00	801.00	489.83

2023-24	1530.00	1150.00	590.50
2024-25	1444.02	700.00	448.36
2025-26	1200.00	1200.00	1109.69

बिहार सहित देश में पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत अनुमोदित लाभार्थियों / आवेदनों की खंड-वार और श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**श्रेणी**	**खंड**	**अनुमोदनों की संख्या**	**कुल**
1	श्रेणी -I	आरटीई/आरटीसी	12	51
		एफ एंड वी	26	
		समुद्री	09	
		मोज़ेरेला चीज	04	
2	श्रेणी –II	अभिनव	2	15
		जैविक	13	
3	श्रेणी –III	बी एंड एम	73	73
4	मिलेट आधारित उत्पाद के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी)	बड़ी संस्थाएँ	8	29
		एमएसएमई	21	
कुल			**168**	**168**

बिहार राज्य में, पीएलआईएसएफपीआई योजना की श्रेणी-1 के अंतर्गत कुल 660.37 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 7 स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्वीकृत की गई हैं और वे संचालित हो गई हैं।

ख) : दिनांक 31.12.2025 तक अनुमोदित आवेदकों द्वारा लगभग 9207 करोड़ रुपये का संचयी निवेश किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन किया गया है। देश भर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के 3.29 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। योजना की श्रेणी-I के अंतर्गत किए गए निवेश का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

ग) : पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत अनुमोदित 168 आवेदकों में से 69 आवेदक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत हैं। इसके अलावा, मुख्य अनुमोदित आवेदकों की 40 अनुबंध विनिर्माण इकाइयां भी एमएसएमई से हैं। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अनुमोदित 168 आवेदकों में से 2 आवेदक सहकारी समितियां हैं, 13 आवेदक जैविक खंड के अंतर्गत हैं और 2 आवेदक अभिनव खाद्य उत्पादों के खंड के अंतर्गत हैं।

घ) : योजना के उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन बनाने की सहायता करना, खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड को बढ़ावा देना, कृषि-इतर नौकरियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, कृषि उत्पादों की लाभकारी कीमत सुनिश्चित करना और किसानों को उच्च आय प्रदान करना है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत प्रोत्साहन तभी स्वीकार्य है जब योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदन किए गए खाद्य उत्पादों की प्राथमिक प्रसंस्करण सहित विनिर्माण प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला भारत में होती है। अनुमोदित लाभार्थियों / आवेदकों द्वारा विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

अनुबंध

दिनांक 13.03.2026 को उत्तर हेतु 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम(पीएलआईएसएफपीआई) का प्रदर्शन और प्रभाव' के संबंध में राज्यसभा के प्रश्न सं. 2483 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएलआईएसएफपीआई योजना की श्रेणी- I के अंतर्गत किए गए निवेश का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्थान/इकाई की संख्या	निवेश प्राप्त (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	34	1313.33
2	असम	3	46.54
3	बिहार	7	660.37
4	छत्तीसगढ़	1	45.14
5	गोवा	1	20.21
6	गुजरात	27	1599.88
7	हरियाणा	6	80.62
8	हिमाचल प्रदेश	1	10.93
9	जम्मू और कश्मीर	2	78.6
10	झारखंड	2	11.76
11	कर्नाटक	13	312.87
12	केरल	7	193.34
13	मध्य प्रदेश	8	657.69
14	महाराष्ट्र	31	1368.71
15	उड़ीसा	6	196.56
16	पंजाब	6	136.02
17	राजस्थान	6	279.94
18	तमिलनाडु	11	390.91
19	तेलंगाना	8	245.5
20	उत्तर प्रदेश	23	1242.83
21	उत्तराखंड	2	132.72
22	पश्चिम बंगाल	8	182.53
	कुल	**213**	**9207.00**